ए वोट ऑन नेशनल सिक्योरिटी

लेखक- श्याम शरण (पूर्व विदेश सचिव)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (आंतरिक सुरक्षा)

इंडियन एक्सप्रेस

15 मार्च, 2019

''नागरिकों को अपने राजनीतिक नेताओं और शासन संस्थानों को उत्तरदायी बनाए रखने का अधिकार है। सशस्त्र बलों या सरकार पर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही मानना कहीं से भी उचित नहीं है।''

अभी हाल ही में पुलवामा और बालाकोट का मुद्दा आगामी आम चुनावों में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। देशवासियों का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित करने से सत्तारूढ़ भाजपा को अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि इससे रोजगार, कृषि सुधार और स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर सरकार की विफलता पर विपक्ष के वाजिब प्रश्न से सरकार को घेरने के प्रयासों को दरकिनार किया जा सकता है। यदि इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तव में एक गंभीर चुनावी मुद्दा बन जाता है तो यह बिल्कुल सही समय होगा, जो कि राजनीतिक फायदे के संदर्भ में नहीं, बल्कि हमारे शासन प्रणालियों में व्याप्त दुर्बलताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में होगा, जिसके संदर्भ में विशेषज्ञ समितियों जैसे कारगिल रिव्यू कमेटी (2000) और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नरेश चंद्र टास्क फोर्स (2012) द्वारा पहले भी चिंताएं दर्शायी जा चुकी हैं, जो पठानकोट, उरी और अब पुलवामा की घटनाओं में स्पष्ट रूप से सामने आने वाली गंभीर सुरक्षा चूक को भी दर्शाता है।

यहाँ प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने विभिन्न आयामों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती को स्वीकार करने और अपने संबंधित घोषणापत्रों में शामिल करने का साहस करने देना चाहिए जिससे वे बता सके कि वे हमारे देश को बाहरी और घरेलू खतरों से सुरक्षित करने के लिए कौन-कौन से व्यावहारिक कदम उठाएंगे।

हमारी खुद की विफलताओं को सुर्खियों में लाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे विरोधियों को बार-बार उनका शोषण करने की अनुमति देता है। कोई भी ऐसा विजयोल्लास जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से ध्यान हटाता है, उससे देश को बचना चाहिए। किसी सरकार, किसी राजनीतिक नेता, राज्य की किसी भी संस्था को विशेष रूप से लोकतंत्र में जांच या पूछताछ से प्रतिरक्षा का दावा नहीं करना चाहिए। जैसा कि अब चुनाव सामने आ गया हैं, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक बहस में शामिल होने की जरूरत है, साथ ही उन्हें जनता के साथ इस बात को साझा करने कि आवश्यकता हैं कि शासन प्रणालियों में दुर्बलताएं हैं और प्रत्येक को दूर करने के लिए उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है।

यह स्वीकार करते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रमुख सार्वजनिक मुद्दा बन गया है, प्रत्येक पार्टी को अपने घोषणापत्र में यह शामिल करना चाहिए कि भारत जैसे बहुलवादी और लोकतांत्रिक देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत क्या होना चाहिए। अब एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए जो भय पैदा करने पर आधारित न रहते हुए सुरक्षा और व्याप्त खामियों के बीच वास्तविक दुविधा को स्पष्ट रूप दे और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों का पालन करे। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को केवल तभी समझा जा सकता है जब इसे भारत के संविधान के ढांचे के अनुरूप बनाया जाए और इसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि भारत 10, 20 या 30 वर्षों में एक देश और समाज के रूप में अपने आप को कहां देखना चाहता है। हमें एक ऐसे देश के रूप में नष्ट होने से बचना चाहिए कि जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के फैसलों पर सुरक्षा बाध्यता वीटो बन जाती है। इसके अलावा, एक निर्वाचित सरकार को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दें का उपयोग नहीं करना चाहिए।

विशेष रूप से, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय सुरक्षा पर कारगिल समीक्षा समिति और नरेश चंद्र टास्क फोर्स की रिपोर्टों को अद्यतन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, साथ ही उनके परिणामों को सार्वजनिक करना चाहिए और प्रमुख सिफारिशों को लागू करने के लिए एक विस्तृत चर्चा को बढ़ावा देने के बारे में विचार करना चाहिए। इन दो रिपोर्टों में न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती का निदान है,

बल्कि इसे संबोधित करने के लिए मूल्यवान सिफारिशें भी हैं। इसमें पिछली सफलताओं और असफलताओं से सबक लेने और तदर्थ प्रतिक्रियाओं से बचने पर जोर देने की बात कही गयी हैं।

एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के लिए कुछ अपरिहार्य तत्व हैं जिसमें से एक पुलिस सुधार से संबंधित है। कोई भी सुरक्षा प्रणाली अपने सबसे छोटे पैदल सैनिक के रूप में अच्छी और कुशल है जो सबसे अच्छा ऊपरी ढाँचा रेत पर बने घर की तरह होती है जब तक कि वह पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थित उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित कर्मियों द्वारा समर्थित न हो। भारत में, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। इन स्तरों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती अक्सर राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्ट आचरण के अधीन होती है। उनके पास बुनियादी प्रशिक्षण की कमी है। कुछ, वास्तव में निरक्षर होने के कारण प्रशिक्षित भी नहीं हैं। उनके काम और रहने की स्थिति और भी दयनीय है। जिससे उनके आसानी से भ्रष्ट हो जाने की संभावना बढ़ जाती हैं।

भारत में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात (प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 125 पुलिस) विश्व में सबसे कम है। जमीनी स्तर पर, वास्तव में हमारे पास उस तरह की पुलिसिंग है ही नहीं जो संभवत: लश्कर के आतंकवादियों को पकड़ लेती हो, जब वे मुंबई के बाहर समुद्र तट पर उतरे थे। समुद्र के पार से नियमित तस्करी होती है और हमारी स्थलीय सीमा एक खुली पहेली है। सुरक्षा बलों में भ्रष्ट तत्वों के कारण हुए आतंकवादी इन तस्करी मार्गों का उपयोग करते हुए बच निकल जाते हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल लंबे समय से प्रतीक्षित, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्देशित है, पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं?

सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर राजनीतिक व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हर वीआईपी के लिए औसतन तीन सुरक्षाकर्मी होते हैं। कुछ राजनीतिक नेताओं को राज्य के खर्च पर सौ या अधिक सुरक्षा गार्डों द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह एक लोकतांत्रिक और समतावादी समाज में पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन यह राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिसके बिना आतंकवादी खतरों को संबोधित नहीं किया जा सकता है। क्या कोई भी राजनीतिक दल यह घोषित करने के लिए तैयार है कि वह अपने सदस्यों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त सुरक्षा कवच पर ध्यान केन्द्रित नहीं करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा?

ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ वास्तविक मुद्दे हैं और इन्हें कुशल और जवाबदेह संस्थानों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है न कि व्यक्तिगत बहादुरी या प्रतिभा के माध्यम से। नागरिकों को अपने राजनीतिक नेताओं और शासन संस्थानों को उत्तरदायी बनाये रखने का अधिकार है और यह केवल तभी संभव है जब कानून द्वारा पारदर्शिता अनिवार्य हो, न कि सरकार के विवेक पर।

सशस्त्र बलों या सरकार पर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही मानना कहीं से भी उचित नहीं है। सशस्त्र बल अजेय नहीं हैं। वे गलती कर सकते हैं, उनके पास क्षमता या बेहतर हथियार और उपकरण की कमी हो सकती है। सरकारें गलती करती हैं और अगर नागरिक उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं तो वे उन्हें जारी रखेंगे। क्या हमारी पार्टियां विश्वसनीय और सम्मानित सार्वजनिक हस्तियों और स्वतंत्र पेशेवरों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों और प्रक्रियाओं का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए तैयार हैं?

आइए, हर तरह से, राष्ट्रीय सुरक्षा को एक चुनावी मुद्दा बनाएं क्योंकि इसे कैसे संभाला जा रहा है इस पर कई तरह कि चिंताएं देखने को मिल रही है।

GS World
Committed to Excellence

GS World टीम...

कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की चिकित्सकीय प्रयोगशाला द्वारा 'कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स' विकसित की गई हैं।
- इन दवाओं से घायल जवानों को अस्पताल में पहुंचाए जाने से पहले तक के बेहद नाजुक समय को बढ़ाया जा सकेगा।
- डीआरडीओ द्वारा कहा गया है कि इन दवाओं का उद्देश्य पुलावामा हमले अथवा युद्ध जैसी स्थितियों में गंभीर रूप से घायलों को सही उपचार देकर जवानों की जान बचाना और मृतकों की संख्या में कमी लाना है।
- इन दवाओं का लाभ यह होगा कि घायल जवानों की जान बचाने के लिहाज जो महत्वपूर्ण समय होता है उसमें उन्हें जरुरी उपचार दिया जा सकता है।
- आमतौर पर अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही गंभीर रूप से घायल सैनिक उपचार न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं।

क्या है?

- डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई इन दवाओं में रक्तस्राव वाले घाव को भरने वाली दवा, अवशोषक ड्रेसिंग और ग्लिसरेटेड सैलाइन शामिल हैं।
- ये सभी चीजें जंगल, अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध और आतंकवादी हमलों की स्थिति में जीवन बचा सकती हैं।

लाभ

- वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दवाओं से मृतक संख्या में कमी लाई जा सकती है।
- डीआरडीओ की प्रयोगशाला इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऐंड अलाइड साइंसेस में दवाओं को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार घायल होने के बाद और अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले यदि घायल को प्रभावी प्राथमिक उपचार दिया जाए तो उसके जीवित बचने की संभावना अधिक होती है।
- डीआरडीओ की स्वदेश निर्मित दवाएं अर्द्धसैनिक बलों और रक्षाकर्मियों के लिए युद्ध के समय में वरदान साबित हो सकती हैं।
- ये दवाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि घायल जवानों को युद्धक्षेत्र से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए ले जाए जाने के दौरान हमारे वीर जवानों का खून बेकार में न बहे।
- अधिकतर मामलों में युद्ध के दौरान सैनिकों की देखभाल के लिए केवल एक चिकित्साकर्मी और सीमित उपकरण होते है, ऐसे में यह दवाएं बेहद लाभकारी साबित होंगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. भारत में कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।
2. भारत में जनसंख्या के मुकाबले पुलिस का अनुपात विश्व में सबसे कम है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. Law and order in India is a state subject.
2. The ratio of population and police personnel in India is the lowest in the world.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पुलवामा हमले के संदर्भ में समीक्षा कीजिए।

Q. What steps should be taken to tackle the challenges emanating regarding national security? Evaluate in the context of Pulwama attack.
(250 Words)

नोट : 14 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।